रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 2] नई दिल्ली, जनवरी 2—जनवरी 8, 2011, शनिवार/पौष 12—पौष 18, 1932
No. 2] NEW DELHI, JANUARY 2—JANUARY 8, 2011, SATURDAY/PAUSA 12—PAUSA 18, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 5.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री फेरदिनो इनशियो रीबेलो (मूल उच्च न्यायालय : बम्बई) जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रुपये (रुपये नौ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

New Delhi, the 24th November, 2010

G.S.R. 5.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Ferdino Inacio Rebello (PHC : Bombay), on appointment as the Chief Justice, Allahabad High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of his service as the Chief Justice of the Allahabad High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 6.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्रीमती पूनम श्रीवास्तव (मूल उच्च न्यायालय : इलाहाबाद) जिनका स्थानान्तरण झारखंड उच्च न्यायालय में किया गया है, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 8000 रुपये (रुपये आठ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगी ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 24th November, 2010

G.S.R. 6.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Smt. Justice Poonam Srivastava (PHC : Allahabad), on transfer to the Jharkhand High Court, shall be entitled to receive, in addition to her salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight thousand only) per month, for the period of her service as Judge of the Jharkhand High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 7.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री विजय मनोहर साही (मूल उच्च न्यायालय : इलाहाबाद) जिनका स्थानान्तरण गुजरात उच्च न्यायालय में किया गया है, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 8000 रुपये (रुपये आठ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 24th November, 2010

G.S.R. 7.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Vijay Manohar Sahai (PHC : Allahabad), on transfer to the Gujarat High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight thousand only) per month, for the period of his service as a Judge of the Gujarat High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 8.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री दंतुलूरि श्रीनिवास रंगनाथ वर्मा (मूल उच्च न्यायालय : आन्ध्र प्रदेश) जिनका स्थानान्तरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय में किया गया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 8000 रुपये (रुपये आठ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 24th November, 2010

G.S.R. 8.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Srinivasa Ranganatha Varma (PHC : Andhra Pradesh), on transfer to the Allahabad High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight thousand only) per month, for the period of his service as Judge of the Allahabad High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 9.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री रंजन गोंगई (मूल उच्च न्यायालय : गुवाहाटी) जिनका स्थानान्तरण पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में किया गया है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 8000 रुपये (रुपये आठ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 9.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Ranjan Gogoi (PHC : Gauhati), on transfer to the Punjab and Haryana High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight thousand only) per month, for the period of his service as Judge of the Punjab and Harayana High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 10.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्रीमती तूम मीना कुमारी (मूल उच्च न्यायालय : आन्ध्र प्रदेश) जिनका स्थानान्तरण पटना उच्च न्यायालय में किया गया है, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 8000 रुपये (रुपये आठ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगी ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 10.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Smt. Justice T. Meena Kumari (PHC : Andhra Pradesh), on transfer to the Patna High Court, shall be entitled to receive, in addition to her salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight thousand only) per month, for the period of her service as Judge of the Patna High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 11.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री भवानी प्रसाद राय (मूल उच्च न्यायालय : उड़ीसा) जिनका स्थानान्तरण केरल उच्च न्यायालय में किया गया है, केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 8000 रुपये (रुपये आठ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 11.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Bhabani Prasad Ray (PHC : Orissa), on transfer to the Kerala High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight thousand only) per month, for the period of his service as Judge of the Kerala High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 12.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री अरुण सुरेश (मूल उच्च न्यायालय : दिल्ली) जिनका स्थानान्तरण उड़ीसा उच्च न्यायालय में किया गया है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 8000 रुपये (रुपये आठ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 12.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Smt. Justice Aruna Suresh (PHC : Delhi), on transfer to the Orissa High Court, shall be entitled to receive, in addition to her salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight thousand only) per month, for the period of her service as Judge of the Orissa High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 13.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री श्रीनिवास अग्रवाल (मूल उच्च न्यायालय : दिल्ली) जिनका स्थानान्तरण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में किया गया है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 8000 रुपये (रुपये आठ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 13.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Shri Niwas Aggarwal (PHC : Delhi), on transfer to the Madhya Pradesh High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight thousand only) per month, for the period of his service as Judge of the Madhya Pradesh High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 14.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री हरजिन्द्र सिंह भल्ला (मूल उच्च न्यायालय : पंजाब एवं हरियाणा) जिनका स्थानान्तरण उड़ीसा उच्च न्यायालय में किया गया है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 8000 रुपये (रुपये आठ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 14.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Harjinder Singh Bhalla (PHC : Punjab and Harayana), on transfer to the Orissa High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight thousand only) per month, for the period of his service as Judge of the Orissa High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 15.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री विनोद कुमार शर्मा (मूल उच्च न्यायालय : पंजाब एवं हरियाणा) जिनका स्थानान्तरण मद्रास उच्च न्यायालय में किया गया है, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 8000 रुपये (रुपये आठ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 15.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Vinod Kumar Sharma (PHC : Punjab and Harayana), on transfer to the Madras High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight thousand only) per month, for the period of his service as Judge of the Madras High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 16.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री आशुतोष मोहिंता (मूल उच्च न्यायालय : पंजाब एवं हरियाणा) जिनका स्थानान्तरण आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में किया गया है, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 8000 रुपये (रुपये आठ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 16.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Ashutosh Mohunta (PHC : Punjab and Harayana), on transfer to the Andhra Pradesh High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight thousand only) per month, for the period of his service as Judge of the Andhra Pradesh High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 17.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री अरुण कुमार मिश्र (मूल उच्च न्यायालय : मध्य प्रदेश) जिनका स्थानान्तरण राजस्थान उच्च न्यायालय में किया गया है, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 8000 रुपये (रुपये आठ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 17.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Arun Kumar Mishra (PHC : Madhya Pradesh), on transfer to the Rajasthan High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight thousand only) per month, for the period of his service as Judge of the Rajasthan High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 18.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री मुट्टासि जेयपाल (मूल उच्च न्यायालय : मद्रास) जिनका स्थानान्तरण पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में किया गया है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 8000 रुपये (रुपये आठ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 18.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Muttaci Jeypaul (PHC : Madras), on transfer to the Punjab and Haryana High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight thousand only) per month, for the period of his service as Judge of the Punjab and Haryana High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 19.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री राज इलन्गो (मूल उच्च न्यायालय : मद्रास) जिनका स्थानान्तरण आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में किया गया है, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 8000 रुपये (रुपये आठ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 19.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Raja Elango (PHC : Madras), on transfer to the Andhra Pradesh High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight thousand only) per month, for the period of his service as Judge of the Andhra Pradesh High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 20.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री प्रफुल्ल कुमार मिश्र (मूल उच्च न्यायालय : उड़ीसा) जिन्हें पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रुपये (रुपये नौ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 20.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Prafulla Kumar Misra (PHC : Orissa), on appointment as the Chief Justice of the Patna High Court, was entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of his service as the Chief Justice of the Patna High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 21.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री जगदीश सिंह केहर (मूल उच्च न्यायालय : पंजाब एवं हरियाणा) जिन्हें उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और फिर उनका स्थानान्तरण कर्नाटक उच्च न्यायालय में कर दिया गया था, उत्तराखंड उच्च न्यायालय/कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रुपये (रुपये नौ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 21.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Jagdish Singh Khehar (PHC : Punjab and Haryana), on appointment as the Chief Justice of Uttarakhand High Court and further transfer to the Karnataka High Court was entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of his service as the Chief Justice of the Uttarakhand High Court/Karnataka High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 22.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री बिलाल नाज़की (मूल उच्च न्यायालय : जम्मू एवं कश्मीर) जिन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रुपये (रुपये नौ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 22.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Bilal Nazki (PHC : Jammu and Kashmir), on appointment of as the Chief Justice of the Orissa High Court, was entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of his service when he performed his duties as the Chief Justice of the Orissa High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 23.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री मुकुल मुदगल (मूल उच्च न्यायालय : दिल्ली) जिन्हें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रुपये (रुपये नौ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 23.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Mukul Mudgal (PHC : Delhi), on appointment as the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court, was entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of his service as the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 24.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय (मूल उच्च न्यायालय : झारखंड) जिन्हें गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रुपये (रुपये नौ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 24.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Sudhansu Jyoti Mukhopadhaya (PHC : Jharkhand), on appointment as the Chief Justice of Gujarat High Court, was entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of his service as the Chief Justice of the Gujarat High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 25.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री दिपक मिश्र (मूल उच्च न्यायालय : उड़ीसा) जिन्हें पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और उसके बाद उनका स्थानान्तरण दिल्ली उच्च न्यायालय में कर दिया गया था, पटना उच्च न्यायालय/दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रुपये (रुपये नौ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 25.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Dipak Misra (PHC : Orissa), on appointment as the Chief Justice of Patna High Court and was further transfer to the Delhi High Court was entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of his service when he performed his duties as the Chief Justice, Patna High Court/Delhi High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 26.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री मोहित शान्तिलाल शाह (मूल उच्च न्यायालय : गुजरात) जिन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और जिनका स्थानान्तरण बम्बई उच्च न्यायालय में कर दिया गया था, कलकत्ता उच्च न्यायालय/बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रुपये (रुपये नौ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 26.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Mohit Shantilal Shah (PHC : Gujarat), on appointment as the Chief Justice of Calcutta High Court and on transfer to the Bombay High Court was entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of his service as the Chief Justice, Calcutta High Court/ Bombay High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 27.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री कुरियन जोसफ (मूल उच्च न्यायालय : केरल) जिन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रुपये (रुपये नौ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 27.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Kurian Joseph (PHC : Kerala), on appointment as the Chief Justice of Himachal Pradesh High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of his service as the Chief Justice, Himachal Pradesh High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 28.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री सैयद रफत आलम (मूल उच्च न्यायालय : पटना) जिन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रुपये (रुपये नौ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 28.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Syed Rafat Alam (PHC : Patna), on appointment as the Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of his service as the Chief Justice, Madhya Pradesh High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 29.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री अलोक सिंह (मूल उच्च न्यायालय : उत्तराखंड) जिनका स्थानान्तरण पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में किया गया है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 8000 रुपये (रुपये आठ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 29.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Alok Singh (PHC : Uttarakhand), on trasferred to Punjab and Haryana High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as a Judge of the Punjab and Haryana High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 30.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री अभय मनोहर सप्रे (मूल उच्च न्यायालय : मध्य प्रदेश) जिनका स्थानान्तरण राजस्थान उच्च न्यायालय में किया गया है, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 8000 रुपये (रुपये आठ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 30.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Abhay Manohar Sapre (PHC : Madhya Pradesh), on trasferred to Rajasthan High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as a Judge of the Rajasthan High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 31.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री निसार अहमद कक्रू (मूल उच्च न्यायालय : जम्मू एवं कश्मीर) जिन्हें आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रुपये (रुपये नौ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 31.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Nisar Ahmad Kakru (PHC : Jammu and Kashmir), on appointed as the Chief Justice of Andhra Pradesh High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of his service as the Chief Justice of the Andhra Pradesh High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 32.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्रीमती निर्मला यादव (मूल उच्च न्यायालय : पंजाब एवं हरियाणा) जिनका स्थानान्तरण उत्तराखंड उच्च न्यायालय में किया गया है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 8000 रुपये (रुपये आठ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 32.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Smt. Justice Nirmal Yadav (PHC : Punjab and Haryana), on trasferred to the Uttarakhand High Court, shall be entitled to receive, in addition to her salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight thousand only) per month, for the period of her service as a Judge of the Uttarakhand High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 33.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री वेंकटेगौड़ा गोपालागौड़ा (मूल उच्च न्यायालय : कर्नाटक) जिन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रुपये (रुपये नौ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 33.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Venkategowda Gopalagowda (PHC : Karnataka), on appointment as the Chief Justice of Orissa High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of his service as the Chief Justice, Orissa High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 34.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री मो. युसुफ एकबाल (मूल उच्च न्यायालय : झारखंड) जिन्हें मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रुपये (रुपये नौ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 34.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice M. Yusuf Eqbal (PHC : Jharkhand), on appointment as the Chief Justice, Madras High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of his service as Chief Justice of the Madras High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 35.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् सुश्री रेखा मनहर लाल दोशीत (मूल उच्च न्यायालय : गुजरात) जिन्हें पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रुपये (रुपये नौ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने की पात्र होंगी ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 35.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Miss Justice Rekha Manharlal Doshit (PHC : Gujarat), on appointment as the Chief Justice, Patna High Court is entitled to receive, in addition to her salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of her service as the Chief Justice of the Patna High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 36.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री भगवती प्रसाद (मूल उच्च न्यायालय : राजस्थान) जिन्हें झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रुपये (रुपये नौ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 36.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Bhagwati Prasad (PHC : Rajasthan), on appointment as the Chief Justice of the Jharkhand High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of his service as the Chief Justice of the Jharkhand High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 37.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :

न्यायविद् श्री बरुण घोष (मूल उच्च न्यायालय : कलकत्ता) जिन्हें जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और तदोपरान्त उनका स्थानान्तरण सिक्किम उच्च न्यायालय और उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कर दिया गया था, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय/सिक्किम उच्च न्यायालय/उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रुपये (रुपये नौ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/6/2010-यू.एस. I/II]

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 37.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Barin Ghosh (PHC : Calcutta), was appointed as the Chief Justice of the Jammu and Kashmir High Court and was subsequently transferred to the Sikkim High Court and Uttarakhand High Court. He was entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of his service as the Chief Justice, Jammu and Kashmir High Court/Sikkim High Court/Uttarakhand High Court.

[No. K. 11017/6/2010-US. I/II]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

श्रम और रोजगार मंत्रालय

[मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) का कार्यालय]

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 38.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आशुलिपिक श्रेणी II और आशुलिपिक श्रेणी III भर्ती (मुख्य श्रम आयुक्त संगठन के प्रादेशिक कार्यालय) नियम, 2004 को जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी III पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के प्रादेशिक कार्यालयों में आशुलिपिक श्रेणी II के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आशुलिपिक श्रेणी II [मुख्य श्रम आयुक्त के प्रादेशिक कार्यालय (केंद्रीय)] भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं और उससे/उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अुनसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आशुलिपिक श्रेणी-II	34* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, में वेतनमान 5200-20200 रुपए और ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 वर्ष से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी) ।

	(7)
	टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य । (ii) दक्षता परीक्षा सन्नियम (क) श्रुतलेख : 10 मिनट @ 80 शब्द प्रति मिनट (ख) प्रतिलेखन : 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिंदी) (केवल कंप्यूटर पर)	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :– 1. प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) —अध्यक्ष 2. सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) —सदस्य 3. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[सं. प्रशा.-II/3-(05)/2009]

अजय जोशी, प्रशासनिक अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

[Office of the Chief Labour Commissioner (Central)]

New Delhi, the 5th January, 2011

G.S.R. 38.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Stenographers Grade-II and Stenographers Grade-III Recruitment (Regional Offices of the Chief Labour Commissioner's Organisation) Rules, 2004, insofar as they relate to the post of Stenographers Grade-III, expect as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Stenographers Grade II in the Regional Offices of the Chief Labour Commissioner (Central), Ministry of Labour and Employment, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Stenographer Grade II [Regional Offices of the Chief Labour Commissioner (Central)], Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and pay band or scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Scale of Pay	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Stenographer Grade-II	34* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1 in the scale of pay Rs. 5200—20200 with Grade Pay of Rs. 2400.	Not applicable	Not applicable	18 to 27 years. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
(i) 12th Standard pass or equivalent from a recognised Board or University; (ii) Skill Test Norms : (A) Dictation 10 minutes @ 80 words per minute. (B) Transcription 50 minutes (English). 65 minutes (Hindi) (only on computers)	Not applicable	Two years

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
Direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Departmental Promotion Committee for confirmation :— 1. Regional Labour Commissioner (Central) —Chairman 2. Assistant Labour Commissioner (Central) —Member 3. Labour Enforcement Officer (Central) —Member	Not applicable.

[No. Admn. II/3(05)/2009]

AJAY JOSHI, Administrative Officer

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.